न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर राज0

बईजलास पीठासीन अधिकारी बनवारी लाल सिनसिनवार (आर0ए0एस)

उपखण्ड अधिकारी चाकसू।

वाद पत्र संख्या 118/2012 निर्णय दिनांक 13.2.18

1. श्योजीराम पुत्र श्रीनारायण
2. हरिनारायण पुत्र श्रीनारायण
3. भंवर पुत्र रामेश्वर
4. कैलाश पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम आनन्दरामपुरा, पटवार हल्का हिंगोनिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)

——वादी——

बनाम

1. सीताराम पुत्र काना
2. प्रभुनारायण पुत्र काना
3. दुर्गालाल पुत्र काना
4. गोरधनलाल पुत्र काना

जाति बागडा ब्रह्मण निवासी ग्प्रम आनन्दरामपुरा, पटवार हल्का हिंगोनिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)

5. बद्री पुत्र भौरिया
6. बंशी पुत्र भौरिया
7. रामनिवास पुत्र महादेव (मृतक)

7/1 पवन

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

7/2 दिनेश

7/3 सुरेश पुत्रान स्व0 रामनिवास

8. सीताराम पुत्र रामसहाय

9. मोहन पुत्र राधेश्याम

10. अशोक पुत्र राधेश्याम

11. मंगली बेवा रामनिवास

12. शिवलाल पुत्र रामनिवास

13. मदनलाल पुत्र रामनिवास

14. काना पुत्र पन्ना (मृतक)

14/1 देवी लाल

14/2 छितर

14/3 नेताराम

14/4 दामोदर पुत्रान स्व0 काना

15. हनुमान पुत्र पन्ना

16. रामप्रसाद पुत्र पन्ना

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी- ग्राम आनन्दरामपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

18. उप पंजीयक चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)।

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :–

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

1. वादीगण वादपत्र मे वर्णित पते पर मय परिवार निवास करते है। वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम आनन्दरामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जिसके पुराने खाता संख्या 25 जिसमें खसरा नम्बर 165 मि0 रकबा 13 बिस्वा, खसरानम्बर 102 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 384 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 385 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 586 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीधा 18 बिस्वा जो कि श्रीनारायण पुत्र मंगला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जो कि जमाबंदी खतोनी में संवत 2017 से 2028 उसके आगे तक दर्ज थी। श्रीनारायणजी का स्वर्गवास होने के पश्चात उनके तीन पुत्र उनके उत्तराधिकारी हुए जो कि रामेश्वर, हरिनारायण व श्योजीराम है। उक्त आराजीयात में से उत्तराधिकारी होने के कारण संपूर्ण आराजीयात पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी थी। लेकिन खसरा नम्बर 102 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 586 मि0 रकबा 2 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा तीनो पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड दज नी हुई जिसके नये खसरा नम्बरान 102 के खसरा नम्बर 38 बने व वर्तमान में नये खसरा नम्बरान 228 रकबा 0.12 है0 खसरा नम्बर 229 रकबा 0. 07 हैक्टेयर, खसरा नम्ब्र 230 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 231 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.46 हे0 खसरा नम्बर 233 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 235 रकबा 0.39 है0 खसरा नम्बर 236 रकबा 0.17 हैक्टेयर जो कि वर्तमान में प्रवितादीगण संख्या 5 लगायत 10 के नाम दर्ज है। तथा खसरा नम्ब्र 329 रकबा 0.50 है0 जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 586 जिसके नये नम्बर 207

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तथा खसरा नम्बर 209 है तथा वर्तमान खसरानम्बर 978 रकबा 0.52 है0 खसरा नम्बर 979 रकबा 0.45 है0 खसरा नम्बर 980 रकबा 0.24 है0 खसरा नम्बर 981 रकबा 0.45 ळै0 खसरा नम्बर 982 रकबा 0.37 है0 खसरा नम्बर 983 रकबा 0.34 हे0 खसरा नम्बर 984 रकबा 0.37 है0 तथा खसरा नम्बर 1004 रकबा 0.33 है0 खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.14 है0 है जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 के नाम दर्ज है। जबकि उक्त खसरा नम्बरान में से 4 बीघा 17 बिस्वा जमीन वादीगण के नाम दर्ज होनी थी जोकि प्रतिवादीगण की बदनियती के कारण उनके नाम दर्ज हो गयी जिसको कि वादीगण उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम हटाकर अपना नाम 4 बीघा 17 बिस्वा में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

2. वादी ने तथा उनके पूर्वजों ने उपरोक्त आराजीयात का आज तक किसी भी रुप में बेचान स्थानांतरण नहीं किया है ना ही किसी को कब्जा समझाया है बल्कि वादी गण अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं तथा उसका उपयोग उपभोग भी करते आ रहे हैं इनमें किसी अन्य व्यक्ति को कोई बाधा कारित करने व बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 वादीगण की उपरोक्त आराजीयात के पास ही रहते है जो कि आये दिन वादीगण को उनकी आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देते रहते है और कहते है कि उन्होंने उक्त आराजीयात को खरीद कर लिया है। जबकि वादीगण या उनके पूर्वजों ने बुजुर्गो ने उपरोक्त आराजीयात को किसी भी रूप में बेचान हस्तानान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नही किया है। बल्कि प्रतिवादीगण ने मिलीभगत करके उपरोक्त आराजीयात खसरा नम्बर पुराने 102, 165मि0 585 जिसके वर्तमान नम्बर खसरा नम्बर 228 लगायत 236, 329 व 978 लगायत 986, 1004 व 1005 अपने नाम दर्ज कराली है जो कि मिलीभगत का परिणाम है सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नही है। वादीगण का आज भी उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा चला आ रहा है तथा अपने पूर्वजो के समय सही कब्जा काश्त है जिसमें प्रतिवादीगण को कोई बाधा कारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। जिसको कि वादीगण अपने नाम दुरूस्त कराकर नामान्तकरण खुलवाने के लिए स्वतंत्र है।

4. दिनांक 20.05.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 कुछ लोगो को भूमि पर लेकर आये तथा वादीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात दिखाने लगे तथा कहने लगे उपरोक्त आराजीयात बिकाउ है जिसका मोल भाव भी करने लगे जिसकी सूचना वादीगण को होने पर वादीगण ने आपत्ति की तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे उक्त आराजीयात दिगर व्यक्ति को बेचकर ही रहेगे। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त आराजीयात तो बुजुर्गो के समय से ही वादीगण की है प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण ने जमाबंदी दिखायी ओर कहा कि उसमें प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हैं। जिसकी जानकारी वादीगण को नही थी तथा वादीगण ने सूचना संबंधी दस्तावेज पटवारी हल्का से निकलवाये तो पता चला कि उक्त खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गये है। जबकि वादीगण ने अथवा वादीगण के पूवर्जो द्वारा किसी भी रूप में उपरोक्त आराजीयात का बेचान हस्तांतरण गिरवी, रहन आदि किसी भी रूप में प्रतिवादीगण का उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

पूर्वजो का नही किया गया है ना ही राजस्व रिकार्ड में ऐसा कोई अंकन है। बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा मिलीभगत करके वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान की आराजीयात को अपने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपने नाम दर्ज करा लिया है जिसको वादीगण अपने नाम घोषित कराकर दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

5. प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह भी धमकी दी कि वे मौका पाकर वादीगण को उपरोक्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे ओर कब्जा ले लेंगे तथा अन्य को हस्तांतरित कर प्लाट कर देंगे। जिससे वादीगण के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गयी है कि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्यों व मनसूबो में कामयाब नही नही हो जावे। इसलिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की उपरोक्त आराजीयात को किसी भी रूप में बेचान नही करे, हस्तांतरण नही करे, गैरकानूनी रूप से बेदखल नही करे, हस्तांतरण नही करे, गैर कानूनी रूप से बेदखल नही करें, ना ही किसी तरह का कोई निर्माण मौके पर करावें। ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही जरिये ऐजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन, रिश्तेदार से करावे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के आदेश फरमावे। तथा प्रतिवादी सख्या 17 व 18 को इस आशय से पाबन्द फरमावे कि वो बिना वादीगण की सहमति के उपरोक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में किसी तरह की हेर फेर, अमल दरामद, रदोबदल आदि नही करे तथा राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

6. वाद कारण दिनांक 20.05.2012 को जब प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि आकर अन्य मिलने वाले लोगो को जमीन बेचने हेतु दिखाने लगे वादीगण ने एतराज किया जिससे वाद कारण उक्त दिनांक को उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

7. प्रतिवादी संख्या 17 व 18 राज्य सरकार तहसीलदार है जिसे कि धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है। लेकिन वादीगण का वाद अत्याधिक आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 17 व 18 को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिये धारा 80 सी0पी0सी0 नोटिस दिये जाने में छूट प्रदान किये जाने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से फरमाया जावे कि :–

1. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम आनंदरामपुरा पटवार हल्का हिंगोनिया तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान) जिसके वर्तमान नये खसरा नम्बरान 228 लगायत 236 जो कि प्रविादीगण संख्या 5 लगायत 10 के नाम दर्ज है, तथा खसरा नम्बर 165 मि0 के नये खसरा नम्बर 59 बने है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर [illegible] है। प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर [illegible]6 जिसके नये नम्बर 207 व 209 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर [illegible]78 लगायत 984, 1004 व 1005

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

है जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 तथा प्रतिवादीगण संख्या 14 लगायत 16 के नाम दर्ज है में से 4 बीघा 17 बिस्वा आराजीयात को वादीगण के नाम घोषित किया जाकर 4 बीघा 17 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 व 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या 3 व 4 के नाम दुरूस्ती इन्द्राज करते हुए नाम दर्ज किया जावे।

2. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो उपरोक्त वर्णित आराजीयात या उसके किसी हिस्से को किसी को भी बेचान हस्तांतरण नही करे, ना ही खुर्द बुर्द करें तथा ना ही वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करे ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना अपने ऐजेन्ट, सर्वेंट ईष्ट मित्र नोकर चाकर परिवारजन या रिश्तेदार आदि से करावे ना ही प्रेरित करें, तथा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करे।

3. प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के उपयोग उपभोग, आन जान, रहन सहन आदि में किसी प्रकार की बाधा कारित ना तो स्वयं करे, ना ही अपने किसी परिवारजन रिश्तेदार ऐजेन्ट सर्वेंट से करावे ना ही प्रेरित करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तो हाजीर अदालत

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

होकर दावे का जवाब दावा पेश किया गया तो इस प्रकार पेश किया गया कि :–

1. वाद पत्र का मद नं0 1 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है संवत 2017–20 तक वादीगण के पूर्वजों का नाम हो सकता है यह तथ्य रिकार्ड का विषय है संवत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही हुई थी जिसमें गांव की समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार पुनः अलॉट किया गया था जो भूमि की किस्म को आधार बनाकर उनकी कीमत तय कर बराबर कीमत की जमीन दी गई थी इसी प्रकार वादीगण की भी कुल 8 बीघा 18 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 2.35 है0 अर्थात करीब 9 बीघा 8 बिस्वा जमीन दी गई है इस प्रकारा वादीगण की जमीन भूमि एकीकरण विभाग द्वारा कम नही की गई बल्कि करीब 10 बिस्वा जमीन वादीगण के ज्यादा दी गई है वादीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 175, 487, 753, 756, 757, 929, 933 कुल किता 10 रकबा 2.35 है0 भूमि आज भी वादीगण के नाम है जहां वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा सरकार को इन नये नम्बरों का लगान अदा करते आ रहे है।

वादीगण ने इस मद में पुराने नम्बरों को नये नम्बरों से मिलान किया है जिसमे कई नम्बर काफी नम्बरों से मिलकर बने हुये है वादीगण ने सारे नये नम्बरों को विवादग्रस्त बना दिया जो कि कानूनी रूप से गलत है जैसे की वादीगण द्वारा बताया गया खसरा नम्बर 102 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा था जिसके नये नम्बर 38

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

बने थे इस नये नम्बर 38 का रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा था तथा यह खसरा नम्बर 38 अकेले पुराने 102 से नही बना था बल्कि यह 102 के अलावा 92 से 99 103, 109 से मिलकर बना था वादीगण ने पूरे खसरा नम्बर 38 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा को आधार बनाकर उसके बनने वाले नये नम्बर 102 केवल 2 बीघा 2 बिस्वा का ऐसे में वादीगण ने बिना देखे बिना जांचे मनमर्जी से नम्बर लिख दिये है जैसे की खसरा नम्बर 38 से बनने वाले नये नंबर केवल 228 से 236 ही नही थे बल्कि खसरा नम्बर 38 से खसरा नम्बर 238 आदि भी बने है वादीगण ने किस आधार पर खसरा नम्बर 228 से 236 पर दावा पेश किया है तथा किस आधार पर खसरा नम्बर 238 को छोडा है। पूरे दावे में वादीगण ने कही भी स्पष्ट नही किया है कि वादीग्रस्त आराजी से उसका संबंध केसे व किस आधार पर है खसरा नम्बर 102 के अलावा पुराने खसरा नम्बर 165, 586 से संबंध में इसी प्रकार की स्थिति है इसे बनने वाले नम्बर भी कई नम्बरों से मिलकर बने है तथा उनका रकबा भी काफी बडा है जैसे वादीगण का 165 नम्बर का रकबा 13 बिस्वा था जिसके नये नम्बर 59 बने है जिसका रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा बना था तथा वह अकेले 165 से नही बनकर 159, 165 से 169, 170/2, 170/3 से मिलकर बने है 59 के नये नम्बर 329 रकबा 0.59 है0 बने है इसका भी आधार नही बताया गया है इसी प्रकार की स्थिति खसरा नम्बर 586 की है इस प्रकार पूरे विवरण से स्पष्ट है कि वादी ने गलत तरीके से दावा [illegible] किया है क्योंकि प्रथम तो वादीगण को जमीन के [illegible] जमीन मिल चुकी है द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उसने 4 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर करीब 20 बीघा भूमि पर दावा पेश कर दिया है तो पूर्णतया गलत है।

2. वाद पत्र का मद नंबर 2 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है।

3. वाद पत्र का मद नंबर 3 गलत है स्वीकार नही है वादीगण के पूर्वजो को भूमि एकीकरण विभाग द्वारा एकीकरण में बदले में जमीन दे दी थी जिस पर वादीगण व इनके पूर्वज काबिज काश्त चले आ रहे है जिसके खसरा नम्बर 260, 261, 463 से 468, 470, 471, 473, 485, 499, 703, 923 से 928 कुल किता 20 कुल रकबा 2.39 है0 है वादग्रस्त आराजी नम्बरों पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है बल्कि एकीकरण के समय से प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है जिसे आज करीब 50 वर्ष पूरे होने को है।

4. वाद पत्र का मद नं0 4 गलत है स्वीकार नही है वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है वादीगण का इस आराजी से वर्तमान में कोई संबंध नही है सारी कार्यवाही भूमि एकीकरण विभाग द्वारा की गई है तथा कानूनन एकीकरण कार्यवाही को चेलेंज नही किया जा सकता है।

5. वाद पत्र का मद नं0 5 गलत है स्वीकार नही है ना तो वादीगण का कब्जा काश्त है ना ही दि[illegible] 2[illegible]5.2012 की कोई घटना ही घटित हुई समस्त तथ्य मिथ्या लिख[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

6. वाद पत्र का मद नं0 6 गलत है स्वीकार नही है वादीगण किसी भी प्रकार की घोषणा का स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

7. वाद पत्र का मद नं0 7 गलत है स्वीकार नही है दिनांक 20.05.2012 या किसी भी अन्य दिनांक की वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है।

8. वाद पत्र का मद नं0 8 से 11 कानूनी है जवाब आवश्यक नही है।

9. वाद पत्र का अनुतोष मद गलत है स्वीकार नही है इस मद के उप मद 1, 2, 3, 4, 5, में चाहे गये अनुतोष को वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जवाब दावे की प्रति वकील वादी को दी गयी तो वादी वकील ने जवाब दावे का जवाब कुल जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि :–

1. प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के मद नं0 1 में वर्णित किया है कि वादीगण की कुल 8 बीघा 18 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 2.35 है0 जमीन दी गई, जिसके खसरा नम्बर 175, 487, 753, 756, 757,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

929 से 933 कुल किता 10 कुल रकबा 2.35 है0 है गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि उक्त जमीन वादीगण को अपनी वादग्रस्त जमीन जो वाद पत्र के पैरा नं0 1 में वर्णित के बदले में नही दी गई बल्कि उक्त जमीन वादीगण के पूर्वजो का जो अलग खाता संख्या 74 संवत 2017 से 2020 का जिसके खसरा नम्बर 44, 46, 65, 334, 409, 601, 281, 301, व 564, कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा के बदले दी गई थी जिसके एकीकरण के बाद खसरा नंबर 21,103, 141, 218 बने तथा वर्तमान नं 175, 487, 753, 756, 757, 929 से 933 कुल किता 10 कुल रकबा 2.35 है0 है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा यह अंकित करना की वाद प. के मद नं0 1 में वर्णित जमीन वादीगण को मिल गई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि वादीगण को उक्त जमीन अपने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान के बदले मिली थी तथा जो वाद प. के पैरा नम्बर 1 में वर्णित जमीन प्रतिवादीगण के नाम लग गई जिसके लिए उक्त दावा पेश किया गया है।

2. प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के मद नं0 01 में ही वर्णित किया कि वादीगण ने सारे नंबरों को वादग्रस्त बना दिया जो कानूनी रूप से गलत है जैसे कि वादीगण द्वारा बताया गया खसरा नम्बर 102 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा था जिसके नये नंबर 38 बने थे इस नये नंबर 38 का रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा था तथा खसरा नम्बर 38 अकेले पुराने 102 से नही बना था बल्कि 102 के अलावा अन्य नंबरो से मिलकर बना है। वादीगण ने पूरे खसरा नम्बर 38 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा को आधार बनाकर उसके बदले मिले नये नंबर 228 से 236 पर दावा पेश कर दिया जबकि वादीगण का मूल नंबर 102 केवल 2 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

02 बिस्वा का थ इस प्रकार प्रतिवादी ने अपने जवाब में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है। जिसका जवाब इस प्रकार है कि वादीगण ने खसरा नम्बर 38 के खसरा नम्बरान 229 से 236 व 238 पर ही दावा पेश किया कि वादीगण की पुराने खसरा नम्बर 102 से 38 से जो 239 व 238 नंबर बना है उक्त ही वादीगण की खातेदार में से बना है जो प्रतिवादीगण संख्या 5 से 10 के नाम लगा है। इसयिे जो विवादित नंबर बने उनको ही वादीगण ने अपने वाद पत्र में दर्शाया है तथा वादीगण ने सारे खसरा नम्बरान व दोनो एकीकरणो में एक दूसरे से बने खसरा नम्बरान का वर्णन अपने वाद पत्र में किया है जिससे वाद पत्र में एकीकरण के द्वारा बने नंबरों का खुल्लासा हो जावे तथा खसरा नम्बर 586 जो संवत 2017 से 2020 का है जिसका रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा है जिसके एकीकरण के बाद 207 व 209 नंबर बने तथा 207 व 209 से वर्तमान में 980 व 982 बने जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम है इसलिये जो विवादित नंबर बने उनको ही वादीगण ने अपने वाद पत्र में दर्शाया है तथा वादीगण ने सारे खसरा नम्बरान व दोनो एकीकरण में बने उएक दूसरे से खसरा नम्बरान का वर्णन अपने वाद पत्र में किया है। जिससे वाद पत्र में बने एकीकरण के नंबरो का खुल्लासा हो जावे। इस प्रकार वादीगण को अपनी जमीन खसरा नम्बरान 235 व 236 व 980, 982 में से ही दी जावे उक्त नंबर की वादीगण के पूर्व खसरा नम्बरो के बने है और उन्ही पर वादीगण कब्जा काश्त कर रहे है तथा काबिज है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादीगण की ओर से जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद डिक्री करने की कृपा करे।

दावे का जवाब उल जवाब पेश होने पर जवाब सरकार इस प्रकार पेश हुआ कि :–

1. राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम आनन्दपुरा सम्वत 2021–24 के अनुसार खसरा नम्बर 165 मि0 102, 384, 385, 586 किता 5 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा श्रीनारायण पुत्र मंगल जाति बागडा कुल के नाम दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार है। शेष अस्वीकार है प्रार्थी स्वयं साबित करे।
2. बिन्दु संख्या 2,3,4,5,6,7 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।
3. बिन्दु संख्या 8 विधिक प्रकिया सम्बन्धित बिन्दु निहित होने से टिप्पणी आवश्यक नही है।
4. बिन्दु संख्या 9, 10, 11 की न्यायालय से सम्बन्धित है।

एकीकरण प्रकिया के दौरान समस्त कार्यवाही नियमानुसार मजमे आम में वादीगण एवं इनके पूर्वजों की सूचित करते हुए की गई होगी अतः उक्त कार्यवाही की आज गलत ठहराते हुए अनुतोष चाहना स्वीकार नही है।

दावा, जवाब दावा व जवाब उक्त जवाब एवं जवाब सरकार अनुसार निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

1. आया वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 235, 236 व 980, 982 वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसके खातेदारी अधिकारी वादीगण में निहित है।

——वादीगण——

2. आया वादीगण अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

——वादीगण——

3. आया दौराने एकीकरण वादीगण की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज हो गयी जिसको वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

——वादीगण——

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

——वादीगण——

5. आया वादीगण को वर्तमान खसरा नम्बर के बदले खसरा नम्बर 175, 487, 753, 756, 757, 929, से 933 कुल किता 10 कुल रकबा 2.35 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है इसलिये दावा खारिज किये जाने योग्य है।

——प्रतिवादीगण——

6. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण को एकीकरण की कार्यवाही से प्राप्त हुई है जिस पर एकीकरण के समय से प्रतिवादीगण काबिज है।

——प्रमाण भार प्रतिवादीगण——

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड थानागाजी (जयपुर)

7. आया एकीकरण की कार्यवाही को कानूनन चेलेन्ज नही किये जा सकने के आधार पर वादीगण का दावा चलने योग्य नही है।

——प्रमाण भार प्रतिवादीगण——

तनकीयात कायम होने पर वादी व प्रतिवादीगण की शहादत की गयी तो वादी की तरफ से साक्ष्य में श्योजीलाल, भौरीलाल, रामेश्वर से ली जाकर शहादत वादी बन्द की जाकर शहादत प्रतिवादी ली गयी तो प्रतिवादी द्वारा शहादत सीताराम, नवल किशोर की ली जाकर शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस दावा पक्षकारान वकील सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि दावे के पैरा नम्बर 1 में दर्ज है उक्त कथन किया कि वादग्रस्त भूमि दावे के पैरा नम्बर 1 में दर्ज है उक्त पैरा नम्बर 1 में दर्ज भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मिली भगत करके वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि उक्त खसरा नम्बरान में से वादीगण की भूमि अपने नाम लगवा ली जो गलत लगवा ली जिसका वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि वादीगण का आज भी कब्जा काश्त है। जवाब बहस में प्रतिवादी वकील ने जवाब दोव का समर्थन करते हुए कथन कयिा कि सम्वत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही हुई थी जिसमें गांव की समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारी को उनके हिस्से अनुसार पुनः दी गयी। भूमि किस्म को आधार बनाया जाकर उसकी कीमत तय कर बराबर की की जमीन दी गयी थी वादीगण की भी जमीन 2017 तक थी जिसके बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 4 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 2.35 है0 जमीन दी गयी थी जहां वादीगण काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादीगण ने समस्त नये नम्बरों का वादग्रस्त बना दिया जो गलत है। प बीघा 17 बिस्वा के बदले करीब 20 बीघा भूमि का दावा कर दिया जो गलत है। वादग्रस्त आराजी नम्बरो पर प्रतिवादी का कब्जा है। एकीकरण के समय से प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। एकीकरण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को कानूनन चेलेन्ज नही किया जा सकता। न ही वादीगण को कोई वादकरण उत्पन्न हुवा, बिना वादकारण दावा चलने योग्य नही है। अतः दावा वादी सारहीन होने से खारीज फरमाया जावे।

वादी की तरफ से दावे के समर्थन में एक्स पी 1 जमाबन्दी 2017–2021 एक्स पी 2 जमाबंदी 2021–24, एक्सपी–3 भूमि एकीकरण का मिलान क्षेत्रफल एक्स पी 4 मिलान क्षेत्रफल सं 2051–70, भूमि एकीकरण एक्स पी 5 से जमाबन्दी 2064–67 एक्सपी 10, जमाबन्दी संख्या 2017–21 एक्सपी 13 जमाबन्दी संवत 2072–75 एक्सपी –15 भू– प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल एक्सपी 14, एक्सपी 11 तहसील का पत्र कमांक 5605 दिनांक 30.08.2016 व प्रतिवादी द्वारा जमाबन्दी 2017–21 एक्स पी 1 से 8 जमाबन्दी संख्या 2072–75 एक्स डी 9 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये।

वादी व प्रतिवादीगण की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं गवाहों का परीक्षण किया गया तो तनकीवार निर्णय नियमानुसार किया गया :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सांकरा, (जैसलमेर)

1. आया वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 235, 236 व 980, 982 वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसकी खातेदारी अधिकारी वादीगण में निहित है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जो सम्वत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही जिसमें समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार अलग की गयी थी, वादीगण की 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 2.35 है0 भूमि अर्थात 8 बीघा 18 बिस्वा जमीन दी गयी है। भूमि एकीकरण द्वारा वादीगण की जमीन कम नही की गयी पुराने नम्बरों को नये नम्बरो से जिसमें कई नम्बर काफी नम्बरों से मिलकर बने है, वादीगण ने सारे नये नम्बरों को वादग्रस्त बना दिया, जैसी की वादीगण द्वारा बनाया गया कि खसरा नम्बर 102 रकबा 2 बीघा 2 बीघा था जिसमें नये खसरा नम्बर 38 के नये नम्बर 24 बने इस नये नम्बर का रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा था ये खसरा नम्बर 24 अकेले पुराने खसरा नम्बर 8 से नही बना बल्कि खसरा नम्बर 102 के अलावा 92 से 99 103, 109 से मिलकर बना था वादीगण ने पूरे खसरा नम्बर 38 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा को आधार मानकार उससे बनने वाले नये खसरा नम्बर 228–236 पर दावा पेश कर दिया जबकि वादीगण का मूल नम्बर 102 केवल 2 बीघा 2 बिस्वा का था इस प्रकार बिना देखे बिना जांचे वादीगण द्वारा कुल नं0 लिख दिये, इसी प्रकार वादी द्वारा चाहे गये अन्य खसरा नम्बरान भी इसी प्रकार [illegible] उनका रकबा भी काफी बडा है। वादी के [illegible] के द्वारा जिरह में दावे के अनुतोष से 4 बीघा 17 बिस्वा के अधिक नम्बर होना स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

है खसरा नम्बर 38 का रकबा 5 बिस्वा होना स्वीकार किया है किन्तु खसरा नम्बर 24 को कितना रकबा है ये नही बताया न ही ये बता पाया कि खसरा नम्बर 94 के कितने नम्बर बने है। न ही एकीकरण में प्रतिवादीगण की जमीन कम हुयी या अधिक में बता पाया जिरह में से भी कहा कि मेरी जमीन प्रतिवादीगण के नाम लगी है तो मुझे पता नही है खसरा नम्बर 181 पर ये मेरा कब्जा किस दिशा में है वो मुझे पता नही हैं प्रतिवादीगण सीाी अपनी अपनी जमीन पर काबिज है या नही मुझे पता नही। एकीकरण के खिलाफ पूरे गांव वालों में से किसी ने दावा नही किया। भवर ने जिरह में बताया कि कौन से प्रतिवादीगण के कितनी जमीन नाम लगी मुझे पता नही है। गांव में सभी पक्षो का अपनी अपनी जमीन पर कब्जा है कोई लडाई झगडा आपस में नही है। रामेश्वर ने जिरह में कहा कि दोनो पक्षो के बीच में जमीन को लेकर झगडा नही हुआ। न ही कौनसा नम्बर किस नम्बर से बना व उसका क्या आधार है ये वादी साबित करने में असमर्थ है। क्योंकि जिस जमीन का बाद प्रस्तुत किया गया है वह जमीन प्रतिवादियों को सम्वत 2019 (सन 1961) में सरकार द्वारा एकीकरण ग्राम आनन्दपुरा में हुआ था उसमें प्रतिवादीगण को ये जमीन मिली थी और पिछले 50 वर्षो से प्रतिवादी के नाम चली आ रही है व प्रतिवादियो को एकीकरण में जमीन की किस्म लगान एवं कुल रकबे के आधार पर उतनी ही जमीन मिली है जितनी जमीन एकीकरण से पूर्व में वादीगण या वादीगण के पूर्वजों के नाम थी। एकीकरण के 55 साल बाद प्रस्तुत किया गया है। यदि एकीकरण के पूर्व की जमाबंदी के आधार पर बाद प्रस्तुत किये गये तो एकीकरण का उद्देश्य ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

है वह जमीन प्रतिवादियों को सम्वत 2019 सन 1961 में सरकार द्वारा एकीकरण के दौरान जमीन की किस्म लगान एवं कुल रकबे के हिसाब से उतनी ही जमीन एकीकरण में मिली है जितनी एकीकरण से पहिले प्रतिवादीयों के या उनके पूर्वजों के नाम थी, प्रतिवादियो को एकीकरण मे ज्यादा जमीन नही मिली जवाब सरकार अनुसार एकीकरण की प्रकिया के दौरान समस्त कार्यवाही नियमानुसार मजमे आम में वादीगण व इनके पूर्वजों को सूचित करते हुए की गयी जिसे उक्त कार्यवाही आज गलत ठहराते हुये अनुतोष चाहाजो स्वीकार नही है। इस प्रकार जवाब सरकार व एकीकरण की कार्यवाही को चुनौती नही दिये जोने के कारण व प्रतिवादियों को अपनी एकीकरण से पूर्व जितनी जमीन थी उतनी ही जमीन मिलने व अधिक भूमि मिलना साबित करने में वादी सफल नही रहने के कारण तनकी नं0 3 प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4. आया वादीगण प्रवितादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जो तनकी नं01 से 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने से तनकी नं0 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती हैं।

5. आया वादीगण को वर्तमान खसरा नम्बर के बदले खसरा नम्बर 175, 487, 753, 756, 757, 929 व 9[illegible] किता 10 रकबा 2.35 हे0 भूमि प्राप्त हो चुकी है, इसलिये वाद खारिज किये जाने योग्य है :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

सम्वत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही हुयी थी जिस गांव की समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारों को उनके हिसाब से पुन' अलाट किया गया था जो भूमि किस्म को आधार बनाकर उनकी कीमत तय कर बराबर कीमत की जमीन दी गयी थी इसी प्रकार वादीगण की कुल 8 बीघा 18 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके बदले में 8 बीघा 08 बिस्वा जमीन दी गयी, इस प्रकार वादीगण की जमीन एकीकरण द्वारा कम नही की गयी बल्कि 10 बिस्वा जमीन वादीगण को ज्यादी दी गयी वादीगण के वर्तमान नं0 175, 487, 753, 756, 757, 929 से 93 किता 10 रकबा 2.35 हे0जो भूमि वादीगण के नाम आज भी है जिस पर वादीगण काबिज है, जो स्वयं वादीगण ने भी अपने जवाब में उक्त खसरा नम्बरान व रकबा मिलना स्वीकार किया गया है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण द्वारा साबित करने के कारण प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

6. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण को एकीकरण की कार्यवाही से प्राप्त हुयी है जिस पर एकीकरण के समय से प्रतिवादीगण काबिज है :– इस तनकी को सबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो जिस जमीन पर वाद प्रस्तुत किया गया है वह जमीन प्रतिवादीयों को सम्वत 2019 सन 1961 के दौरान हुये एकीकरण के दौरान मिली थी जो प्रतिवादियों को एकीकरण में जमीन की किस्म लगान व कुल रकबे के हिसाब से [illegible] जमीन एकीकरण में मिली जितनी उनके पास पहिले [illegible] प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम थी प्रतिवादियों को एकीकरण में ज्यादा जमीन नही मिली जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

प्रतिवादी 50 वर्षो से काश्त कर रहे है व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है एकीकरण के 55 साल बाद वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है यदि एकीकरण के पूर्व की जमाबन्दी के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया तो एकीकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा इस प्रकार के वाद एकीकरण के समय ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे। वादी व प्रतिवादी एवं ग्राम आनन्दपुरा के सभी काश्तकार एकीकरण के रिकार्ड के अनुसार अपनी अपनी जमीन पर कबिज होकर काश्त कर रहे। वादीगण द्वारा इस तनकी के संबंध में न ही बता सके कि एकीकरण द्वारा की गयी कार्यवाही गलत की गयी है, इस प्रकार उक्त तनकी नं0 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

7. आया एकीकरण की कार्यवाही को कानूननन चेलेंज नही किये जा सकने के आधार पर वादीगण का दावा चलने योगय नही है इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है वादीगण का इस आराजी से वर्तमान में कोई सम्बन्ध नही है सारी कार्यवाही भूमि एकीकरण विभाग द्वारा की गई है तथा कानूनन एकीकरण कार्यवाही को चेलेन्ज नही किया जा सकता है । इस बाबत प्रतिवादी द्वारा 1970आरआरडी पृष्ठ 59 नजीर पेश की गयी तो उक्त वाद पर भली भांति चस्पा होती है। इस प्रकार तनकी संख्या 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार तनकी नं 1 से 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने व प्रस्तुत दस्तावेजात व दावा जवाब दावा एवं एकीकरण के दौराने की गयी कार्यवाही को चेलेन्ज नही किया जा सकने के आधार पर व वादीगण द्वारा साबित नही कर पाने से दावा वादी खारिज किये कारण जाने योग्य होने से दावा वादी खारीज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड कोटखावदा, (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:28 IST
Reason: SelfAttested